

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रण संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा
रंगबाडी रोड कोटा-324005, दूरभाष: 0744-2470674,

E-mail Id: principalmck@gmail.com Website : www.education.rajasthan.gov.in/gmckota

क्रमांक :-प.2()स्था0 अराज0 / 2021/1117

दिनांक :- 07.06.2021


--:नोटिस:--

इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक 1103 दिनांक 04.06.2021 के अतिक्रमण में दिनांक 07.06.2021 को दोपहर 1:00 बजे पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार पर नर्स ग्रेड-11 की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक प.2() स्था0अराज0/2021/993 दिनांक 18.05.2021 के क्रम में चयन समिति एवं दस्तावेज जाँच समिति की संयुक्त बैठक में कोविड ड्यूटी अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है:-

उक्त विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो कोविड ड्यूटी का अनुभव रखते हैं, विज्ञप्ति दिनांक 18.05.2021 तक का नवीनतम कोविड ड्यूटी अनुभव प्रमाण साक्षात्कार के समय निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें:-

- राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में प्रधानाचार्य/ अधीक्षक अथवा उनके कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही इस भर्ती हेतु अनुभव का लाभ देने के लिए मान्य होगा।
- राज्य के अन्य राजकीय अस्पताल द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उनके कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही इस भर्ती हेतु अनुभव का लाभ देने के लिए मान्य होगा।

नोट:- ऐसे अभ्यर्थी जो कोविड ड्यूटी का अनुभव रखते हैं, कोविड ड्यूटी का अनुभव प्रमाण पत्र एवं उसकी एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार हेतु दस्तावेज जांच के दिन अन्य मूल दस्तावेजों के साथ लेकर उपस्थित हों। इस संबंध में अन्य जानकारी हेतु इस संस्थान की वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा।



(डॉ० विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

दिनांक:- 07.06.2021

क्रमांक:- प.2()स्था0.अराज0/2021/1117

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलेक्टर महोदय, कोटा।
2. निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, पिक स्क्वायर के पास गोविन्द मार्ग जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम/द्वितीय/तृतीय।
5. अधीक्षक, एम0बी0एस0 चिकित्सालय/नवीन चिकित्सालय/सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल/जे0के0लोन चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय रामपुरा
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा
7. मुख्यलेखाधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय कोटा।
8. चयन समिति एवं दस्तावेज जाँच समिति सदस्यों को पालनार्थ।
9. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त निजी सचिव चिकित्सा महाविद्यालय कोटा।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक